



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1002]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 13, 2018/फाल्गुन 22, 1939

No.1002]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 13, 2018/PHALGUNA 22, 1939

पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2018

का.आ. 1122(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए, प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

कावल बाघ आरक्षिती तेलंगाना के सबसे पुराने संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। यह आदिलाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे हैदराबाद से 180 किलोमीटर दूर स्थित है। अभयारण्य के दक्षिणी भाग में गोदावरी नदी बहती है। यह जैव-विविधता की प्रचुरता के लिए जाना जाता है। यहां विविध वनस्पतियाँ (673 प्रजातियां) और उनसे संबंधित जीवजन्तु (677 प्रजातियां) पाये जाते हैं। यहां विविध पक्षी-जीव तथा शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के जीवों की प्रचुरता है।

और, कावल बाघ आरक्षिती की वनस्पति दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का उत्तम उदाहरण है जहाँ मुख्यतः सागौन और उससे संबंधित वन पाए जाते हैं। यह आदिलाबाद जिले के अंतर्गत दक्षिणी पठार की विशिष्ट पुष्प एवं जीवजन्तु विविधता का प्रतिनिधित्व करता है और घने वनों, घासभूमि, खुले क्षेत्रों, नदियों, धाराओं और जल निकायों के रूप में वन्यजीव पर्यावास का उत्कृष्ट मोज़ेक है। यह रॉयल बंगाल टाईगर (पेंथेरा टाइगरिस), गौर (बोस गौरस), जंगली कुत्ता (कुओन अल्पाइनस) और रीछ (मेलरूस युरसिनस) इत्यादि का आवास है जिसमें चौसिंगा (एंटेलोकाप्रा स्प.) और हिरण (सेर्विडे स्प.) जैसे कुछ शाकाहारी भी रहते हैं। इस अभयारण्य का उच्च पारिस्थितिकी महत्व है, क्योंकि यह गोदावरी नदी की सहायक कदम नदी का जलग्रह क्षेत्र है। कावल बाघ आरक्षिती पारिस्थितिकी-प्रणाली अध्ययन के विभिन्न विषयों प्रकृति के संवर्धन और वन्यजीव संरक्षण पर अध्ययन किया जा सकता है। यह अभयारण्य सांस्कृतिक विरासत के साथ-साथ आदिवासी जनजातियां जैसे कि गोंड, नायकपोड और कोलाम और उनकी संस्कृति से भी समृद्ध है।

और, अभयारण्य का क्षेत्रफल लगभग 892.23 वर्ग किलोमीटर है और यह आदिलाबाद जिले के दो संभागों जन्नाराम (आंशिक रूप से) और निर्मल (आंशिक रूप से) के जन्नाराम, कदाम (आंशिक), उत्तूर (आंशिक), सिरपुर (यू) (आंशिक) मंडल में फैला हुआ है। यह अभयारण्य तडलपेट, जन्नाराम, इंदानपीली, बिरसाईपेट, कदाम (भाग) और पेम्बी (अंशतः) रेंज में फैला हुआ है। यह दंडेपल्ली, कदाम (अंशतः), खानापुर (अंशतः), उत्तूर, इंद्रावली, असिफाबाद, केरमेरी (अंशतः) और तिरयानी मंडलों मध्यवर्ती क्षेत्र के आदिलाबाद, निर्मल, जन्नाराम और बेलमपल्ली संभागों में 1123.2127 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। यह अभयारण्य अच्छी तरह से उस गलियारे के साथ भी जुड़ा है जो मध्यवर्ती क्षेत्र के निकट कागाजनगर (अंशतः) और बेलमपल्ली (अंशतः) में फैला है।

और, इस अभयारण्य में जीवजन्तुओं की प्रमुख प्रजातियां हैं जिनमें बाघ (पेंथेरा टाइगरिस), तेंदुआ (पेंथेरा पार्डस), जंगल बिल्ली (फेलिस बेंगलेंसिस), सामान्य लंगूर (प्रेस्विटीस इन्टेलस), भेड़िया (कैनिस ल्यूपस), भारतीय लोमड़ी (वुलपस बेंगलेंसिस), जंगली कुत्ता (कुओन अल्पाइनस), रीछ (मेलरूस अरसिनस), साही (हिस्टेरिक्स इंडिका), खरगोश (लेपस निग्रिकोलिस), गौर (बोस गौरस), नीलगाय (बोसेलाफस ड्रेगोकैमलस), चौसिंगा मृग (टेट्रसेजरस क्वाड्रिकार्निंस), चिंकारा (गैजेले गैजेले), सांभर (करवस यूनिकलर), चित्तीदार हिरण (एक्सस एक्सस), बनैला सूअर (सस स्क्रोफा), मॉन्टर छिपकली (वेरनस बेंगलेंसिस), पायथन (पायथन मॉलुरुस), सामान्य करैत (बंगारस कैरलेस), रैट साँप (पाईटास मुकासस), छोटा जलकौआ (फैलाक्रोकोरैक्स निगर), ग्रे बगुला (अरडेया सिनेरिया), काला बुज्जा (स्यूदीबिस पोपिलोसा), लेजर व्हिस्टलिंग टील (डेंड्रोसियना जावानीका), रेडक्रिस्टेड पोचरर्ड (नेट्टा रूफिना), ग्रे जंगली मुर्गी (गैलस सोनेराटी), और भारतीय मोर (पावो क्रिस्टस) शामिल हैं।

और, इस अभयारण्य में दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों की भी प्रमुख प्रजातियां हैं जिनमें टेक्टोना ग्रांडिस, पेटेरोकार्पस मार्सूपियम, टर्मिनलिया अलटा, स्टेथिजिने परविफोलिया, एनोजेइसस लैटिफोलियो, क्लोरोसाईलॉन स्वितेनिया, डालबर्गिया लैटिफोलिया, एडिना कॉर्डिफोलिया, लेगरस्ट्रोइमिया परविफ्लोरा, स्टेक्यूलिया यूरेन्स, बॉम्बैक्स सीईवा, अल्बिज़िया, ऑडोरटीसिमा, टर्मिनलिया बेल्लेरिका, ब्रिडेलिया रेटुसा, डालबर्गिया पैनिकुलटा, डायस्पिरोस मेलेनोक्सिलॉन, एम्ब्लिका ऑफिसिनलिस, फिकस इंफेकटोरिया, मधुका लैटिफोलिया, लैनिया कोरोमंडलिका, टर्मिनलिया अर्जुना, टर्मिनलिया चेबुला, अकाकिया सुन्द्रा, क्लेस्टैथुस कॉलीनस, अकाकिया ल्यूकोफ्लोएआ, एग्ले मर्मलोस, बुकानानिया लानजान, बुकानानिया लानजान, कैसिया फिस्टूला, फेरोनिया एलेफेन्टम, अकाकिया निलोटिका, बौहिनिया रेसमोसा, डोलीचंद्रोन फाल्काटा, बूटेया मोनोस्पर्म, केरेया आर्बोरिआ, कोक्लॉस्पर्मम रेलिडिओसम, मॉरिंडा टिन्कटरिया, होलरिन्हा एंटीजेसेन्टेरिका, सेमेकरपस एनकार्डुइम, सोयमिडा फेब्रिफुगा, राइटिया टिनकटरिया, श्लेलेच्यरा ओलीओसा, स्ट्राइन्कोस पोटेटरम, जिइज़फस माउरियाटियाना, जिइज़फस ज़ाइलोपीरस, डेंड्रोकैलेमस सिक्रस शामिल हैं। मुख्य झाड़ी प्रजातियां एनोना स्क्वॉमोसा, कैलोट्रोपिस गिगेंटा, कैसिया ऑरिकुलाटा, डोडोना विस्कोसा, गॉर्डनिया गमीफेरा, जिमनोस्पोरिया मॉन्टाना, हेक्टेरिस इसोरा, इकोसोरा परविफ्लोरा, रांडिया ड्यूमेटोरम, निकटान्टेस आर्बर्टिस्टिस, ब्रैडीया हैमिल्टनियाना हैं। मुख्य घास प्रजातियां

हेटरोपोगोन कॉन्टोरटस, इसालेमन पिलोसम, अरिस्तदा ऐन्डक्रेशनस, सिनोदोन डैटेकिलॉन, एरगॉस्टिस यूनिओलोइड्स, क्लोरिस अपूर्ण, एंड्रोपोगोन मार्टिनी और स्कीमा नर्वोसम शामिल हैं।

और, कावल बाघ आरक्षिती के चारों ओर के क्षेत्र को पारिस्थितिकी और पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है। बाघों की बिखरी हुई संख्या को सहेजने के लिए भी इस अभयारण्य के चारों ओर के प्राकृतिक पर्यावास का संरक्षण जरूरी है। कोर क्षेत्र में बाघों की बिखरी हुई संख्या को सहेजने और इन्हें शिकार से बचाने के लिए स्थल-विशिष्ट पर्यावास की व्यवस्था करने हेतु भी इसका पारिस्थितिकी संवेदी जोन होना जरूरी है। महत्वपूर्ण स्थानों की गैर वन भूमि को भी पारिस्थितिकी संवेदी जोन में शामिल किया जाता है क्योंकि वह वन्यजीवों की आवाजाही के लिए अच्छा गलियारा होती है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तेलंगाना राज्य में कावल बाघ आरक्षिती की सीमा के चारों ओर 0.25 किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को कावल बाघ आरक्षिती पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात्:--

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.--(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार कावल बाघ आरक्षिती के चारों ओर 0.25 किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक विस्तारित है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार कावल वन्यजीव अभयारण्य के कोर के चारों ओर के पूरे बफर क्षेत्र में है, जिसमें कुछ ऐसी गैर-वन भूमि (बफर क्षेत्र के बाहर) शामिल है, जो वन्यजीव और पारिस्थितिकी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कोर या बफर क्षेत्र की निकटवर्ती गैर वन भूमि के मामले में, इसकी सीमाएं बफर क्षेत्र की संबंधित सीमाओं से 1 किलोमीटर की दूरी तक विस्तारित हैं। कदाम जलाशय के निकटवर्ती क्षेत्रों के मामले में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार अभयारण्य की सीमा से 0.25 किलोमीटर तक है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 730 वर्ग किलोमीटर है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा को दर्शाने वाला संरक्षित क्षेत्र का मानचित्र उपाबंध I पर है और ग्रामों की सूची को दर्शाने वाला मानचित्र उपाबंध I (क) पर है। संरक्षित क्षेत्र और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची क्रमशः उपाबंध I (ख) और (ग) पर है।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन उपाबंध II के रूप में संलग्न है।

(4) मुख्य बिंदुओं पर उनके भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले 77 ग्रामों की सूची उपाबंध III के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.--(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य सरकार द्वारा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरूप तैयार की जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय संबंधी सरोकारों को समाकलित करने के लिए, राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

- i. पर्यावरण ;
- ii. वन एवं वन्यजीव ;
- iii. कृषि और बागवानी;
- iv. राजस्व ;
- v. शहरी विकास ;
- vi. पारि-पर्यटन सहित पर्यटन;
- vii. ग्रामीण विकास;
- viii. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- ix. नगरपालिका और शहरी विकास ;
- x. पंचायती राज; और
- xi. लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी प्रकार की अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों की बेहतरी की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि वे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी अनुकूल बन सकें।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, की व्यवस्था की जाएगी।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों के प्रकारों और किस्मों, आदिवासी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों, नमभूमियों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा। इस महा-योजना से संबंधित सहायक मानचित्र में विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा दिया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना के अंतर्गत पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित किया जाएगा और सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिकी अनुकूल विकास सुनिश्चित तथा संवर्धित किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कृत्यों को करने की दृष्टि से मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.— राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) भू-उपयोग - (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिह्नित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या वृहद आवासीय काम्पलैक्स या औद्योगिक क्रियाकलापों के क्षेत्रों के रूप में उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

(ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे कि:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधा भण्डार और स्थानीय सुख-सुविधाओं, जो पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक हैं जिसमें ग्रह वास सम्मिलित है; और
- (v) संवर्धित क्रियाकलाप और पैरा 4 में दिए गए क्रियाकलाप।

(ग) परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों का अनुपालन किए बिना तथा संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा।

(घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर की भूमि के अभिलेखों में उत्पन्न किसी त्रुटि की, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार शुद्धि की जाएगी और उक्त त्रुटि के शुद्धिकरण की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।

(ङ.) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि के शुद्धिकरण में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(च) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण के तथा पर्यावास और जैव-विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलमार्गों की पहचान की जाएगी और उसमें उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी।

(3) पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन – (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार की जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का एक घटक होगी।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

- (i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, नए होटलों और रिजॉर्टों की स्थापना, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर

की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पर्यटन महायोजना के अनुसार, पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हुए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिसार्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) प्राकृतिक विरासत - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि सभी जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण की उपयुक्त योजना बनायी जाएगी जो आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कृत्रिम क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएंगी तथा उन्हे आंचलिक महायोजना में शामिल किया जाएगा।

(6) ध्वनि प्रदूषण- तेलंगाना राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण संबंधी विनियमों को लागू करेगा।

(7) वायु प्रदूषण-- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) बहिस्त्राव का निस्सारण - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के अनुसार किया जाएगा।

(9) ठोस अपशिष्ट - ठोस अपशिष्ट का निपटान निम्नानुसार किया जाएगा: -

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। गैर-जैविक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिह्नित किए गए स्थान पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकता है।

(10) जैव चिकित्सा अपशिष्ट- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकता है।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन:** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन:** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट:** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित समय-समय पर संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **वाहन-यातायात:** - वाहन-यातायात का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार वाहनों की आवाजाही के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण:** - वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां:** - (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी भी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति दी जाएगी, इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण:** - पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं होगी।

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(18) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:--

क्रम सं.	क्रियाकलाप	विवरण
(1)	(2)	(3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं, जिनमें घर के निर्माण या मरम्मत के लिए जमीन की खुदाई और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईंटें बनाना शामिल है, को छोड़कर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोड़ने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती है ; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सी) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सी) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किए जाएंगे।
2.	नये तेल एवं गैस खोज उद्योगों सहित प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी। जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी ताप एवं बड़ी जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	नई आरा मिलों एवं काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
8.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
9.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
10.	मछली पालन व्यवसाय ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
11.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटल और रिजोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।

12.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	<p>(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:</p> <p>परंतु स्थानीय निवासियों की आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों को, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी जैसे कि :-</p> <p>(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;</p> <p>(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;</p> <p>(iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योग;</p> <p>(iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योग, सुविधा भण्डार और ग्रह वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाएं; और</p> <p>(v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप ।</p> <p>(ख) परन्तु लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ऐसे लघु उद्योगों, जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे ।</p> <p>(ग) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।</p>
13.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
14.	फार्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
15.	वृक्षों की कटाई ।	<p>(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी ।</p> <p>(ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।</p>
16.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
17.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।

18.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	इसकी व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
19.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किया जाएगा।
20.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स को उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
21.	पर्वतीय ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
22.	रात्रि में बाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
23.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां और दुग्ध उत्पादन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होगा।
24.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित/अपशिष्ट जल/बहिर्वाह का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
25.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/बोर कुएं आदि का निर्माण।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
27.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/ जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
29.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
30.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
संबंधित क्रियाकलाप		
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	अवक्रमित भूमि/वनों या वास-स्थलों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	पर्यावरणीय जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति.— केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए प्रथम मानीटरी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

- i. कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, आदिलाबाद - अध्यक्ष;
- ii. गैर-सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि, (विरासत संरक्षण सहित पर्यावरण के क्षेत्र में सक्रिय) जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा -सदस्य;
- iii. क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आदिलाबाद - सदस्य;
- iv. क्षेत्र का वरिष्ठ नगर नियोजक /जिला पंचायत अधिकारी -सदस्य;
- v. निर्मल, आदिलाबाद और बेलमपाली के संभागीय वन अधिकारी - सदस्य;
- vi. राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ -सदस्य;
- vii. राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला जैव विविधता का एक विशेषज्ञ -सदस्य; और
- viii. संभागीय, वन अधिकारी, वन्यजीव प्रबंधन संभाग, जन्नाराम - सदस्य-सचिव ।

6. विचारार्थ विषय:-

(1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनः गठन किए जाने तक होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) निगरानी समिति उन क्रियाकलापों को अनुज्ञात नहीं करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचनाओं अर्थात् पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 सं.का.आ.1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और तटीय विनियम जोन, 2011 सं.का.आ 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 तथा इनमें किए गए परिवर्ती संशोधनों की अनुसूची के अंतर्गत आते हैं और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में भी आते हैं जिनमें इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप भी शामिल हैं। केवल श्वेत श्रेणी के उद्योगों को ही केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा "उद्योगों के वर्गीकरण, 2016" के लिए जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट माना जाएगा।

(4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और का.आ. 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल-विशिष्ट दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित आयुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंधों का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति प्रत्येक मामले में आवश्यकताओं के आधार पर संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्यवाही रिपोर्ट राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन्यजीव वार्डन को, उपाबंध IV में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।


8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्याधीन होंगे।

[फा.सं. 25/35/2017-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I


पारिस्थितिकी संवेदी जोन के साथ कावल बाघ आरक्षिती, तेलंगाना का मानचित्र



उपाबंध I(क)

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की अवस्थिति को दर्शाने वाला

कावल बाघ आरक्षिती, तेलंगाना का मानचित्र



उपाबंध I(ख)**कावल बाघ आरक्षिती, तेलंगाना की सीमा के भू निर्देशांक**

बिंदु कोड	अक्षांश	देशांतर
ए	19.33101138	78.51586940
बी	19.38357325	78.66297161
सी	19.32179972	78.87686267
डी	19.23245651	78.97486321
ई	19.40541193	78.99568856
एफ	19.29641862	79.12601658
जी	19.08735821	79.07723085
एच	19.12221668	78.85669217
आई	19.16188381	78.60805698

उपाबंध I(ग)**कावल बाघ आरक्षिती, तेलंगाना के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू निर्देशांक**

बिंदु कोड	अक्षांश	देशांतर
i	78.55155663	19.43047978
ii	78.80941855	19.35615918
iii	78.96798880	19.32131829
iv	79.20482184	19.35794930
v	79.20755616	19.11237001
vi	78.96583388	19.17537924
vii	78.6773659	19.079153
vii	78.4694579	19.2655139

उपाबंध II**कावल बाघ आरक्षिती, तेलंगाना के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण**

उत्तर (ए से बी): महत्वपूर्ण बाघ पर्यावास से जुड़े मध्यवर्ती क्षेत्र की सीमा-रेखा, मानचित्र (19.418741 उ – 78.553049 पू) पर चिह्नित स्टेशन - 1 के रूप में चिह्नित बिंदु (ए) से आरंभ होती है जो कम्पार्टमेंट सं. 211 के उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। यह कम्पार्टमेंट संख्या 210 के उत्तर पूर्वी किनारे के कम्पार्टमेंट की उत्तरी सीमा के साथ जाती है और सिरिकोंदा बिट के कम्पार्टमेंट संख्या- 210, 209, 207, 205 की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिण दिशा की ओर जाती है। और यह मानचित्र (19.363404 – 78.614896) पर चिह्नित स्टेशन संख्या 2 सिरिकोंदा बिट के कम्पार्टमेंट संख्या 205 के दक्षिण पूर्वी किनारे तक जाती है और पूर्व दिशा की ओर मुड़कर पोचमपल्ली (दक्षिण) बिट के कम्पार्टमेंट संख्या 418 के दक्षिण पूर्वी

किनारे पर पहुँचती है। इसके बाद यह उत्तर पश्चिम किनारे तक कम्पार्टमेंट की पश्चिमी सीमा के साथ जाती है और मानचित्र (19.380765 – 78.664807) पर चिह्नित स्टेशन संख्या 3 कम्पार्टमेंट संख्या 419 के उत्तर पूर्वी किनारे तक अदिलाबाद संभाग के पोचमपल्ली बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 418,419 की उत्तरी सीमाओं के साथ जाती है। इसके बाद यह 400,389 की पश्चिमी सीमाओं के साथ उत्तरी दिशा में आड़े तिरछे ढंग में जाती है और मानचित्र (19.417656 – 78.649617) पर चिह्नित स्टेशन संख्या 4 कम्पार्टमेंट सं. 389 के उत्तर पश्चिम किनारे तक पहुँचती है। इसके बाद कम्पार्टमेंट संख्या 389, 390, 391, 392, 393, 394 की उत्तरी सीमाओं के साथ जाती है और कम्पार्टमेंट संख्या 394 के दक्षिण पूर्वी किनारे पर पहुँचती है। इसके बाद उतनूर बीट के आड़े तिरछे ढंग में कम्पार्टमेंट संख्या 445, 446 की पश्चिमी सीमाएं और कम्पार्टमेंट संख्या 434 में शामपूर बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 430 की उत्तरी सीमा और कम्पार्टमेंट संख्या 395 की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिणी दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद कम्पार्टमेंट संख्या 445 की उत्तरी और पूर्वी सीमा के साथ जाती है और मानचित्र (19.361234 – 78.778736) पर चिह्नित स्टेशन संख्या 5, पर पहुँचती है जो उतनूर बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 445 के पूर्वी किनारे से पहले है। इसके बाद यह किनारे क्षेत्र के निकटवर्ती गैर वन भूमि (उतनूर-बीरसाईपेट सड़क 19.356894 – 78.789586 को पार करके) सहित पूर्वी दिशा में जाती है और कम्पार्टमेंट संख्या 450 की पश्चिमी सीमा पर पहुँचती है जो मानचित्र (19.362319 – 78.816712) पर चिह्नित स्टेशन संख्या 6 है। इसके बाद यह गनपुर बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 450, 449 की पश्चिमी सीमाओं के साथ उत्तर पश्चिम दिशा में जाती है और कम्पार्टमेंट संख्या 449 के उत्तर पश्चिमी किनारे पर पहुँचती है। इसके बाद यह कम्पार्टमेंट संख्या 449, 451 की पूर्वी दिशा सीमाओं और उत्तर पश्चिम दिशा में कम्पार्टमेंट संख्या 453, 454 की दक्षिणी सीमाओं के साथ जाती है। यहाँ से आड़े तिरछे ढंग में यह हसनपुर बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 454 की दक्षिण पश्चिमी दिशा, उत्तरी और पूर्वी दिशा में जाती है।

इसके बाद यह मानचित्र (19.425251 – 78.822137) पर चिह्नित स्टेशन संख्या 7 हसनपुर बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 455 की सीमाओं के चारों ओर जाती है। इसके बाद यह रगपुर बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 456, 457, 458, 463, 462, 461 की उत्तरी पूर्वी सीमाओं के साथ आड़े तिरछे ढंग में जाती है और कम्पार्टमेंट संख्या 461 के दक्षिणी किनारे के मानचित्र अर्थात् कम्पार्टमेंट संख्या 461(19.318918 – 78.918705) के उत्तर पूर्वी किनारे पर चिह्नित स्टेशन संख्या 8 पहुँचती है। इसके बाद निकटवर्ती कोर क्षेत्र के आच्छादित गैर वन भूमि दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर जाती है और कम्पार्टमेंट संख्या 467 – 19.291792, 78.933896 की उत्तरी सीमा पर पहुँचती है। इसके बाद यह गैर वन भूमि की दक्षिणी दिशा के साथ जाती है और मानचित्र (19.292877 – 78.933896) पर चिह्नित स्टेशन संख्या 9 के कम्पार्टमेंट संख्या 465 के दक्षिण पश्चिम किनारे पर पहुँचती है और इसके बाद उत्तर पूर्वी दिशा में जाती है और कम्पार्टमेंट संख्या 488 (19.335193 – 78.978382) की पश्चिमी सीमा पर पहुँचती है। इसके बाद सीमा रेखा कम्पार्टमेंट संख्या 488, 487 और 486 की दक्षिण पश्चिमी सीमा और उत्तरी सीमा पर जाती है और कम्पार्टमेंट संख्या 487 और 488 के किनारे पहुँचती है जो कि मानचित्र (19.351469 – 78.992487) पर चिह्नित स्टेशन संख्या 10 है। इसके बाद सीमा रेखा मध्यवर्ती क्षेत्र के निकटवर्ती आच्छादित गैर वन भूमि के उत्तर पूर्वी दिशा में जाती है और नतनूर बीट के चिह्नित स्टेशन संख्या 11 (19.364489 – 79.005508) के कम्पार्टमेंट संख्या 494 के पश्चिमी किनारे पर पहुँचती है। इसके बाद रेखा अदिलाबाद संभाग के रसीमेट्टा बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 495, 496 की पश्चिमी सीमा के साथ जाती है और इसके बाद कम्पार्टमेंट संख्या 496 के चारों ओर पूर्व में, कम्पार्टमेंट संख्या 498 की पश्चिमी सीमा, कम्पार्टमेंट संख्या 502 की पश्चिमी सीमा की ओर मुड़कर और मानचित्र (19.445867 – 78.998998) पर चिह्नित स्टेशन संख्या 12 के कम्पार्टमेंट संख्या 502 के उत्तरी बिंदु पर पहुँचती है। इसके बाद यह रसीमेट्टा बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 502, 501, 500, 499, चिन्तागुडा बीट के 46 की सीमाओं के साथ दक्षिण पूर्व दिशा में जाती है और मानचित्र (19.378595 – 79.079290) पर चिह्नित स्टेशन संख्या 13 के कम्पार्टमेंट संख्या 61 के उत्तर पूर्वी किनारे को छूती है।

इसके बाद यह बलनपुर बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 52 की पश्चिमी सीमा के साथ और बेल्लामपल्ली संभाग की दनौरा बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 53 की पश्चिमी सीमा के साथ उत्तरी दिशा की ओर जाती है। इसके बाद मानचित्र (19.448037 – 79.118351) पर चिह्नित स्टेशन संख्या 14 के कम्पार्टमेंट संख्या 48 के उत्तर पूर्वी किनारे के आस पास कम्पार्टमेंट संख्या 50, 49, 48 की उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर जाती है और आस पास के कम्पार्टमेंट संख्या 48, 49, 50 की दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर जाती है। इसके बाद कम्पार्टमेंट संख्या 54 के भाग के आस पास उत्तर पूर्व दिशा में और कम्पार्टमेंट संख्या 55 के उत्तर पूर्वी किनारे की ओर मुड़ती है। इसके बाद कम्पार्टमेंट संख्या 56, 57 के आस पास उत्तरी दिशा और कम्पार्टमेंट संख्या 57 के उत्तर पूर्वी किनारे की ओर मुड़ती है। सीमा रेखा कम्पार्टमेंट संख्या 57, 56, 55 के आस पास पश्चिमी दिशा में मुड़ती है इसके बाद कम्पार्टमेंट संख्या 54 की पूर्वी सीमा, कम्पार्टमेंट संख्या 65 की उत्तरी सीमा को कवर करते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद वौधाम बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 84 की उत्तरी सीमा और कम्पार्टमेंट संख्या 75 के उत्तर पश्चिमी किनारे के दक्षिण दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद बेल्लमपल्ली संभाग के वौधाम ग्राम के कम्पार्टमेंट संख्या 75, 76 की उत्तरी सीमाओं और कम्पार्टमेंट संख्या 78 के उत्तर पूर्वी किनारे के पूर्व दिशा की ओर मुड़कर मानचित्र (19.379680 – 79.230110) पर बिंदु “बी” के रूप में चिह्नित स्टेशन संख्या 15 पर पहुँचती है।

पूर्व (बी से सी): सीमा रेखा बेल्लमपल्ली संभाग के वौधाम बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 78 के उत्तर पूर्वी किनारे के बिंदु “बी” से आरंभ होकर दक्षिण की ओर जाती है और वौधाम बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 78, 76, 75, 84, बलनपुर बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 83, चिन्तागुडा बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 82, 81, चिन्तागुडा बीट के उत्तरी कम्पार्टमेंट संख्या 85 को छूती हुई पश्चिम दिशा में जाती है। इसके बाद कोदनमोवड (एस) बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 86, 87, 88, कोदनमोवड (एन) के कम्पार्टमेंट संख्या 89, 90, 91 को छूती हुई पूर्व दिशा की ओर जाती है और इसके बाद कम्पार्टमेंट संख्या 93 की उत्तरी दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद कम्पार्टमेंट संख्या 92 के उत्तर पश्चिमी किनारे को छूकर और पूर्व दिशा की ओर मुड़कर बेल्लमपल्ली संभाग के कोदनमोवड (एन) बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 94 की उत्तर पूर्वी सीमा को छूती है और कम्पार्टमेंट संख्या 94, 92, 93, 99 की दक्षिणी सीमा को आड़े तिरछे ढंग से छूकर दक्षिणी दिशा की ओर मुड़ती है और इसके बाद कोदनमोवड (एन) बीट की कम्पार्टमेंट संख्या 89 की उत्तर पूर्वी सीमा को छूकर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद कम्पार्टमेंट संख्या 88 की दक्षिणी सीमा को छूकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है और 87 की दक्षिणी सीमा पर पहुँचती है।

इसके बाद यह गैर वन भूमि को कवर करते हुए दक्षिण पूर्वी दिशा में जाती है और कोदनमोवड (एस) बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 97 की उत्तरी सीमा पर पहुँचती है। इसके बाद यह कोदनमोवड (एस) बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 97 की सीमा के साथ और चिन्तलामदिरा बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 110 के साथ पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी दिशा में जाती है और कम्पार्टमेंट संख्या 110 (19.272261 – 79.143307) की दक्षिण पश्चिमी सीमा के निकट पहुँचती है। इसके बाद सीमा रेखा दक्षिण पश्चिमी दिशा में जाती है और कम्पार्टमेंट संख्या 116 की पूर्वी सीमा पर पहुँचती है। इसके बाद सीमा रेखा मानचित्र (19.245135 – 79.132457) पर चिह्नित स्टेशन संख्या 16 के कम्पार्टमेंट संख्या 116 की पूर्वी सीमा और कम्पार्टमेंट संख्या 135 की उत्तरी सीमा के साथ जाती है और मानचित्र (19.232115 – 79.260491) पर चिह्नित स्टेशन संख्या 17 के कम्पार्टमेंट संख्या 143, 144, 146, 147, 148, 150 की उत्तरी सीमाओं और कम्पार्टमेंट संख्या 151 के उत्तर पूर्वी किनारे के साथ जाती है। इसके बाद कम्पार्टमेंट संख्या 150, 149 की दक्षिणी सीमाओं के साथ दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है और कम्पार्टमेंट संख्या 153 एवं 164 के पूर्वी एवं दक्षिणी किनारे और कम्पार्टमेंट संख्या 152 के किनारे के साथ जाती है। इसके बाद यह कम्पार्टमेंट संख्या 152 की दक्षिण पश्चिमी सीमा के साथ उत्तर पश्चिमी दिशा में जाकर कम्पार्टमेंट संख्या 155 (19.184374 – 79.156328) की दक्षिणी सीमा पर पहुँचती है।

इसके बाद यह दक्षिण पूर्वी दिशा में जाती है और मंगी बीट में सम्मिलित गैर वन भूमि के कम्पार्टमेंट संख्या 163 की उत्तरी सीमा पर पहुँचती है। इसके बाद सीमा रेखा कम्पार्टमेंट संख्या 163, 166, 168, 175, 174 की उत्तरी सीमा के साथ

पूर्वी दिशा में जाती है और कम्पार्टमेंट संख्या 174 के दक्षिण पूर्वी किनारे पर पहुँचती है। इसके बाद रेखा बेल्लमपल्ली संभाग के भीमरेल्ली बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 176, 181, 182 की पूर्वी सीमाओं के साथ दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद बेल्लमपल्ली संभाग के गुण्डाला (पश्चिम) बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 183 एवं 191 की पूर्वी सीमाओं को छूकर दक्षिण दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद बेल्लमपल्ली संभाग के गुण्डाला (प.) के कम्पार्टमेंट संख्या 193 की पूर्वी सीमाओं एवं कम्पार्टमेंट संख्या 205 के उत्तर पूर्वी किनारे के साथ दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद बेल्लमपल्ली संभाग के गुण्डाला (प.) बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 201, 208 की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद जन्नाराम संभाग के पथा ममीदिपल्ली बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 385, 386 की पूर्वी सीमा, दंदेपल्ली बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 389, 391, चिन्तापल्ली बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 395, 397 के साथ दक्षिणी दिशा की ओर मुड़ती है और कम्पार्टमेंट संख्या 398 की दक्षिणी दिशा की ओर मुड़कर तथा जन्नाराम संभाग के चिन्तापल्ली बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 399 के दक्षिण पूर्वी किनारे पर पहुँच कर मानचित्र (18.992323 – 79.216004) पर चिह्नित स्टेशन सं. 18 के बिंदु सी पर पहुँचती है।

दक्षिण (सी से डी): सीमा-रेखा बिंदु “सी” से जन्नाराम संभाग के चिन्तापल्ली बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 399 के दक्षिण पूर्वी किनारे से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जाकर थानीमदुगु बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 394, 393, 390 और दांदेपल्ली बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 388 के दक्षिणी किनारे को छूती है। इसके बाद पथ ममीदिपल्ली बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 387 के दक्षिण पश्चिम किनारे को छूकर उत्तर दिशा की ओर मुड़ती है इसके बाद पथ ममीदिपल्ली बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 385 की दक्षिणी सीमा, दम्मानापेट बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 382, लिंगापुर बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 381 एवं 380 को छूकर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद लिंगापुर बीट के कम्पार्टमेंट सं. 375 और मानचित्र (19.057425 – 79.135712) पर चिह्नित स्टेशन सं. 19 अर्थात् कम्पार्टमेंट संख्या 379 की पश्चिमी सीमा को छूकर उत्तर दिशा की ओर मुड़ती है और मकुलपेट बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 374 के दक्षिणी किनारे पर पहुँचती है। इसके बाद यह मकुलपेट बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 374 की बफर लाईन के निकटवर्ती छोटे भाग के साथ गैर वन भूमि को और कद्दाम नहर के पार तदलापेट बीट के कम्पार्टमेंट सं. 371 को कवर करते हुए जाती है और मानचित्र (19.176778 – 78.967532) पर चिह्नित स्टेशन सं. 20 अर्थात् मोहम्मदाबाद बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 344, 343, 342, चिन्तागुडा बीट के कम्पार्टमेंट सं. 341, पाईदिपल्ली बीट के कम्पार्टमेंट सं. 315, 314, 313 और 312 (यह कम्पार्टमेंट संख्या 315 की कोर सीमा की निकटवर्ती गोदावरी नदी के कुछ भाग को भी कवर करता है), जन्नाराम बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 311, 310, 309, 306, 308 (निर्मल-मंचेरेल सड़क को पार करके कम्पार्टमेंट संख्या 311 के निकट), मानचित्र (19.176778-78.967532) पर स्टेशन सं. 20 के रूप में चिह्नित निकटवर्ती कम्पार्टमेंट सं. 306, 308, 307, 283, 281, 249 और इसके बाद जन्नाराम संभाग के कम्पार्टमेंट की कम्पार्टमेंट संख्या 244, 243, 242, 241, 240, 239, 234, 233, 232, 230, 229, 228, 227 की दक्षिण पूर्व सीमा के साथ जाती है। इसके बाद रेखा मानचित्र (19.035724 – 78.892664) (यह कम्पार्टमेंट संख्या 724 एवं 719 की सीमा के साथ 2 बार गोदावरी नदी के साथ आती और जाती है) पर चिह्नित स्टेशन सं. 21 के कम्पार्टमेंट संख्या 718, 717, 724, 719 और मानचित्र (19.106251 – 78.791756) पर चिह्नित स्टेशन सं. 22 के कम्पार्टमेंट संख्या 716, 715, 714, 713, 722, 720, 723, 721, 712, 711, 729, 727 और 725 की निकटवर्ती कोर सीमा के साथ गैर वन भूमि को कवर करते हुए जाती है। इसके बाद यह पुनः कद्दाम जलाशय के भाग को कवर करते हुए पारिस्थितिकी संवेदी जोन के साथ मानचित्र (19.155078 – 78.720144) पर चिह्नित स्टेशन सं. 23 के कम्पार्टमेंट संख्या 726, 734, 735, 742, 743, 750 और 748 की कोर सीमा के निकट से गुजरती है और सोमवरपेट बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 751 के निकट सोमवरपेट ग्राम के उत्तरी पूर्वी किनारे पर मध्यवर्ती सीमा पर पहुँचती है। इसके बाद रेखा कम्पार्टमेंट संख्या 832 की मध्यवर्ती सीमा के साथ दक्षिणी दिशा की ओर जाती है। रेखा इसके बाद कम्पार्टमेंट संख्या 832 को छूकर उत्तर की ओर मुड़कर कम्पार्टमेंट संख्या 829, 828 की सीमा के साथ पश्चिम की ओर मुड़ती है और इसके बाद कम्पार्टमेंट संख्या 825, 866 के साथ दक्षिण की ओर मुड़कर कम्पार्टमेंट संख्या 862 के साथ उत्तर पूर्व में मुड़कर स्थनपल्ली बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 863 के उत्तरी किनारे

पर पहुँचती है। रेखा इसके बाद मानचित्र (19.113846 – 78.750525) पर चिह्नित स्टेशन संख्या 24 के मुख्यामपेट बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 863, 859, 858, 857, 856 एवं 839 के साथ दक्षिण की ओर मुड़ती है और मुख्यामपेट बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 855, 854, 858, 859 और स्थनपल्ली बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 860, 861, 875, 876, 874 और कम्पार्टमेंट संख्या 873, 882, 883, 881 एवं 877 की दक्षिण सीमाओं और खानापुर बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 878 के दक्षिणी किनारे पर पहुँचकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है और मानचित्र (19.051999 – 78.647447) पर चिह्नित स्टेशन सं. 25 के बिंदु “डी” पर पहुँचती है।

पश्चिम (डी से ए): बिंदु “डी” से निर्मल संभाग के खानापुर बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 878 की खंड सीमा पश्चिमी दिशा की ओर जाती है और निर्मल संभाग के खानापुर बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 879, 880, 883, 872 की दक्षिणी सीमाओं और नगापुर बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 871, 819, 820 की पश्चिमी सीमाओं को छूती है इसके बाद कम्पार्टमेंट संख्या 821, 823 की पश्चिमी सीमाओं को छूकर आड़े तिरछे ढंग से उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद मानचित्र (19.168098 – 78.645277) पर चिह्नित स्टेशन सं. 26 के कम्पार्टमेंट संख्या 826 के उत्तर पूर्वी किनारे के निकट पहुँचती है। इसके बाद यह गैर वन भूमि को कवर करते हुए उत्तर पश्चिमी दिशा में जाकर मानचित्र (19.175693 – 78.621406) पर चिह्नित स्टेशन सं. 27 के कम्पार्टमेंट संख्या 757 की दक्षिणी सीमा पर पहुँचती है। इसके बाद रेखा कम्पार्टमेंट संख्या 758, 791 के साथ और मध्यवर्ती सीमा के साथ दक्षिणी दिशा में जाती है। इसके बाद मानचित्र (19.180033 – 78.487947) पर स्टेशन सं. 28 के रूप में चिह्नित निर्मल संभाग के पोचमपल्ली बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 759, 793, 794, 800, 799, 801, 802, 804 के साथ पश्चिमी दिशा की ओर जाकर कम्पार्टमेंट संख्या 805 की पश्चिमी सीमा की ओर मुड़ती है।

इसके बाद कम्पार्टमेंट 805, 804 को छूकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है और पोचमपल्ली बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 803 के पश्चिमी भाग को छूती है और अदिलाबाद संभाग के पिसरा बीट के कम्पार्टमेंट सं. 88 के दक्षिण किनारे पर पहुँचती है। इसके बाद अदिलाबाद संभाग के पिसरा बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 88, 38, 25, 17 की पश्चिमी सीमाओं और मानचित्र (19.282027 – 78.461906) पर चिह्नित स्टेशन सं. 29 के कुनताला बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 55 के उत्तर पश्चिमी किनारे को छूती हुई उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद पिसरा बीट के 19 (19.280942 – 78.509647) की उत्तरी सीमा को छूती हुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद रेखा कद्दाम नदी को पार करके उत्तरी दिशा में जाती है और कद्दाम नदी के तट के साथ कम्पार्टमेंट संख्या 170 की दक्षिणी सीमा पर पहुँचती है। रेखा इसके बाद गैरजम बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 171, 169 की दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी सीमाओं के साथ पश्चिमी दिशा की ओर जाती है और कम्पार्टमेंट संख्या 167 की पश्चिमी सीमा को छूकर मुड़ती है और मानचित्र (19.327598 – 78.467331) पर चिह्नित स्टेशन सं. 30 के कम्पार्टमेंट संख्या 166 के उत्तर पश्चिमी किनारे को छूकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है और कम्पार्टमेंट संख्या 172 की उत्तरी सीमा को छूकर दक्षिणी दिशा की ओर मुड़ती है और इसके बाद कम्पार्टमेंट संख्या 173 के उत्तर पश्चिमी किनारे को छूकर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद तलामदरी बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 174, 175 की दक्षिणी सीमाओं को छूती हुई आड़े तिरछे ढंग में पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद कम्पार्टमेंट संख्या 175 (19.313493 – 78.533518) के उत्तरी भाग से रेखा गैर वन भूमि को कवर करते हुए उत्तर पूर्वी दिशा की ओर जाती है और कम्पार्टमेंट संख्या 193 (19.325428 – 78.548708) की पश्चिमी सीमा पर पहुँचती है। इसके बाद रेखा तलामदरी बीट की कम्पार्टमेंट संख्या 194 की सीमा और मध्यवर्ती सीमा और कम्पार्टमेंट संख्या 192 की उत्तरी सीमाओं के साथ उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जाती है और वायपेट बीट (19.346044 – 78.581260) के कम्पार्टमेंट संख्या 190 की पूर्वी सीमा पर पहुँचती है। इसके बाद रेखा गैर वन भूमि को कवर करते हुए उत्तर पूर्वी दिशा में जाकर कम्पार्टमेंट संख्या 203 की दक्षिण पश्चिमी सीमा पर पहुँचती है। इसके बाद रेखा मानचित्र (19.397040 – 78.529178) पर चिह्नित स्टेशन सं. 31 के मधापुर बीट के 202, 201, 195, 196, 199 की सीमाओं के साथ पश्चिमी दिशा में जाती है। इसके बाद मधापुर बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 199, 196, 195, 201 एवं 202 की उत्तरी सीमा को छूते हुए पूर्वी दिशा की ओर मुड़ती है और मानचित्र (19.370999 – 78.581260) पर चिह्नित स्टेशन सं.

32 के सीरिकोंदा बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 206 की पश्चिमी सीमाओं और अदिलाबाद संभाग के सिरिकोंदा बीट के कम्पार्टमेंट 208 की दक्षिणी सीमा और कम्पार्टमेंट 209, 210 की पश्चिमी सीमा और कम्पार्टमेंट 211 की दक्षिणी सीमा को छूते हुए आड़े तिरछे ढंग से पश्चिमी दिशा की ओर मुड़ती है और बिंदु “ए” अर्थात् अदिलाबाद संभाग के सिरिकोंदा बीट के कम्पार्टमेंट संख्या 211 के उत्तर पश्चिम किनारे पर पहुँचती है।

उपाबंध III

कावल बाघ आरक्षिती के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	मंडल	वन संभाग	अक्षांश	देशांतर
वी1	पीसरा	नेरादीगोंदा	अदिलाबाद	19.228920	78.505000
वी2	नारायणपुर	एचोदा	अदिलाबाद	19.314790	78.569920
वी3	वैपेट	एचोदा	अदिलाबाद	19.334950	78.625260
वी4	बालगोंडा	इंदरवेली	अदिलाबाद	19.402690	78.661010
वी5	चंदोरी	उतनूर	अदिलाबाद	19.379270	78.836020
वी6	बाबगीपेट	सिरपुर(यू)	अदिलाबाद	19.394180	79.028700
वी7	पावरगुदेम	सिरपुर(यू)	अदिलाबाद	19.364110	79.038210
वी8	चोरपल्ली	सिरपुर(यू)	अदिलाबाद	19.315570	79.055820
वी9	चिन्ना नेतनुर	सिरपुर(यू)	अदिलाबाद	19.306326	79.019371
वी10	पेद्दा नेतनुर	सिरपुर(यू)	अदिलाबाद	19.303789	78.996539
वी11	तुमीरीगुदा	सिरपुर(यू)	अदिलाबाद	19.326622	78.977512
वी12	महागाँव	सिरपुर(यू)	अदिलाबाद	19.305058	78.958485
वी13	पेद्दागुमनुर	सिरपुर(यू)	अदिलाबाद	19.284762	78.972438
वी14	चिन्नागुमनुर	सिरपुर(यू)	अदिलाबाद	19.278420	78.953411
वी15	कंचनपल्ली	सिरपुर(यू)	अदिलाबाद	19.280957	78.929310
वी16	पंगीदी	सिरपुर(यू)	अदिलाबाद	19.351992	79.007955
वी17	नागपुर	खानापुर	निर्मल	19.122120	78.628710
वी18	सोमनारपेट	खानापुर	निर्मल	19.148440	78.694700
वी19	पोचमपल्ली	खानापुर	निर्मल	19.195960	78.492800
वी20	पेम्बी	खानापुर	निर्मल	19.196820	78.640960
वी21	पसपुला	खानापुर	निर्मल	19.243900	78.584710
वी22	रायधारी	खानापुर	निर्मल	19.207620	78.517340
वी23	शेतपल्ली	खानापुर	निर्मल	19.197420	78.667980
वी24	इतिकयाल	खानापुर	निर्मल	19.232970	78.616290
वी25	अदवीसारंगापुर	खानापुर	निर्मल	19.102610	78.658190
वी26	गोदुमाला	खानापुर	निर्मल	19.199000	78.565150
वी27	यापागुदा	खानापुर	निर्मल	19.186120	78.693670
वी28	मुनियाल	कद्दाम	निर्मल	19.065610	78.891220
वी29	गोदीसेरियल	कद्दाम	निर्मल	19.049500	78.908770
वी30	अम्बरीपेट	कद्दाम	निर्मल	19.095410	78.826470

वी31	नवाबपेट	कद्दाम	निर्मल	19.112950	78.826080
वी32	दसतुराबाद	कद्दाम	निर्मल	19.100460	78.828070
वी33	लक्ष्मीपुर	कद्दाम	निर्मल	19.128810	78.835360
वी34	पंडवापुर	कद्दाम	निर्मल	19.097580	78.813450
वी35	गंगापुर	कद्दाम	निर्मल	19.179940	78.722380
वी36	सिंगराईपेट	जन्नाराम	जन्नाराम	19.076170	79.102590
वी37	तपालपुर	जन्नाराम	जन्नाराम	19.056310	79.079320
वी38	मोहम्मदाबाद	जन्नाराम	जन्नाराम	19.082750	79.076110
वी39	चिंतागुदा	जन्नाराम	जन्नाराम	19.078001	79.056157
वी40	पुत्तीगुदा	जन्नाराम	जन्नाराम	19.099920	79.020730
वी41	पोंकल	जन्नाराम	जन्नाराम	19.100833	79.010492
वी42	जन्नाराम	जन्नाराम	जन्नाराम	19.141424	78.996539
वी43	कोथुरपल्ली	जन्नाराम	जन्नाराम	19.160452	78.986391
वी44	देवुनीगुदेस	जन्नाराम	जन्नाराम	19.163930	78.980200
वी45	कोथापेट	जन्नाराम	जन्नाराम	19.174270	78.952110
वी46	परंगापल्ली	जन्नाराम	जन्नाराम	19.164257	78.955948
वी47	इंदनपल्ली	जन्नाराम	जन्नाराम	19.147440	78.939190
वी48	मुरिमादुगु	जन्नाराम	जन्नाराम	19.121240	78.948310
वी49	वेंकटापुरम	जन्नाराम	जन्नाराम	19.117940	78.927100
वी50	कलमादुगु	जन्नाराम	जन्नाराम	19.086880	78.940726
वी51	कोथापल्ली	जन्नाराम	जन्नाराम	19.249245	78.969901
वी52	रेवोजीपेट	कद्दाम	जन्नाराम	19.078840	78.921810
वी53	चेन्नूर	कद्दाम	जन्नाराम	19.076380	78.933000
वी54	लोद्दीगुदा	तिरयानी	बेल्लामपल्ली	19.252340	79.096600
वी55	पूलसिंह तंदा	तिरयानी	बेल्लामपल्ली	19.214730	79.087500
वी56	चिन्ना दामपुर	तिरयानी	बेल्लामपल्ली	19.223070	79.057690
वी57	दामपुर	तिरयानी	बेल्लामपल्ली	19.221110	79.087350
वी58	गोयेना	तिरयानी	बेल्लामपल्ली	19.288760	79.080710
वी59	कुरसीगुदा	तिरयानी	बेल्लामपल्ली	19.290600	79.100500
वी60	मंगी	तिरयानी	बेल्लामपल्ली	19.139120	79.134300
वी61	तोक्कीगुदा	तिरयानी	बेल्लामपल्ली	19.130670	79.154380
वी62	भीमराला	तिरयानी	बेल्लामपल्ली	19.147300	79.187390
वी63	गीसुगुदा	तिरयानी	बेल्लामपल्ली	19.179120	79.146670
वी64	ततीगुदा	तिरयानी	बेल्लामपल्ली	19.178900	79.128900
वी65	केरागुदा	तिरयानी	बेल्लामपल्ली	19.188900	79.118900
वी66	गोपेरा	तिरयानी	बेल्लामपल्ली	19.218420	79.137670
वी67	सावथुलागुंदाम	आसिफाबाद	बेल्लामपल्ली	19.307920	79.092580
वी68	अल्लीगुदा	आसिफाबाद	बेल्लामपल्ली	19.347710	79.118770
वी69	गोगन मौर	आसिफाबाद	बेल्लामपल्ली	19.354080	79.114820
वी70	दभागुदेम	आसिफाबाद	बेल्लामपल्ली	19.303789	79.111970

वी71	चिंतागुदा	आसिफाबाद	बेल्लामपल्ली	19.333280	79.090400
वी72	गोंदुगुदेम	आसिफाबाद	बेल्लामपल्ली	19.379950	79.218510
वी73	बाबाजरी	केरामरी	बेल्लामपल्ली	19.372300	79.094750
वी74	पटनापुर	केरामरी	बेल्लामपल्ली	19.374660	79.130380
वी75	चलबड़ी	केरामरी	बेल्लामपल्ली	19.363570	79.080000
वी76	जोदेघाट	केरामरी	बेल्लामपल्ली	19.366620	79.160100
वी77	अंकुसापुर	केरामरी	बेल्लामपल्ली	19.395610	79.120500

उपाबंध-IV

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2018

S.O. 1122(E).— The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, the Kawal Tiger Reserve is one of the oldest protected areas of Telangana. It is located in Adilabad District at a distance of 180 kms from Hyderabad along the banks of river Godavari. The river Godavari runs in the Southern side of the Sanctuary. It is well known for its richness in bio-diversity. It is an abode for a variety of flora (673 species) and its associated fauna (677 species). It is well known for the abundance of both herbivorous and carnivorous fauna besides being a home to a variety of avifauna.

AND WHEREAS, the vegetation of Kawal Tiger Reserve exhibits a classical example of southern tropical dry deciduous forests with predominately teak and its associates. It represents the typical floral and faunal diversity of Deccan Plateau falling in Adilabad district and forms excellent mosaic of wildlife habitat in the form of dense forests, grasslands, open areas, rivers, streams and water bodies. The Royal Bengal Tiger (*Panthera tigris*), Gaur (*Bos gaurus*), Wild dog (*Cuon alpinus*) and Sloth bear (*Melursus ursinus*), etc are present in the sanctuary with some herbivores represented by Antelopes (*Antelocapra sp.*) and Deer (*Cervidae sp.*). The sanctuary has a high ecological value being the catchment of River Kadam, a tributary of River Godavari. The Kawal Tiger Reserve offers varied subjects for ecosystem studies and promotion of nature and wildlife conservation. The sanctuary is also rich in cultural heritage with aboriginal tribes like Gonds, Naikpods and Kolams and their culture.

AND WHEREAS, the sanctuary covers an area of about 892.23 square kilometres and is spread over two divisions Jannaram (Partly) & Nirmal (Partly) of Adilabad district covering Jannaram, Kaddam (Partly), Utnoor (Partly), Sirpur (U) (Partly) mandals. The sanctuary extends over Tadlapet, Jannaram, Indanpally, Birsaipet, Kaddam (Part) & Pembli (Part) Ranges. The Buffer area extends over the parts of Adilabad, Nirmal, Jannaram & Bellampally Divisions over an area of 1123.2127 square kilometres covering the mandals of Dandepally, Kaddam (Part), Khanapur (Part), Utnoor, Indervally, Asifabad, Kerameri (Part) and Tiryani. The sanctuary is also well connected with corridor which is adjacent to Buffer area extending over the Kagaznagar (Part) and Bellampally (Part).

AND WHEREAS, the sanctuary has principal categories of fauna which includes Tiger (*Panthera tigris*), Leopard (*Panthera pardus*), Jungle Cat (*Felis bengalensis*), Common Langur (*Presbytis entellus*), Wolf (*Canis lupus*), Indian Fox (*Vulpus bengalensis*), Wild dog (*Cuan alpinus*), Sloth Bear (*Melursus ursines*), Porcupine (*Hysterix indica*), Hare (*Lepus nigricollis*), Gaur (*Bos gaurus*), Nilgai (*Boselaphus dragocamulus*), Fourhorned Antelope (*Tetracerus quadricornis*), Chinkara (*Gazelle gazelle*), Sambar (*Cervus unicolour*), Spotted Deer (*Axis axis*), Wild Boar (*Sus crophia*), Monitor Lizard (*Veranus bengalensis*), Python (*Python molurus*), Common Crait (*Bungarus caeruleus*), Rat Snake (*Pytyas mucosus*), Little Cormorant (*Phalacrocorax niger*), Grey Heron (*Ardea cinerea*), Black Ibis (*Pseudibis papillosa*), Lesser Whistling Teal (*Dendrocygna javanica*), Redcrested Pochard (*Netta rufina*), Brahminy Kite (*Haliastur Indus*), Grey Junglefowl (*Gallus sonneratii*) and Indian Peafowl (*Pavo cristatus*).

AND WHEREAS, the sanctuary has also the principal species of southern tropical dry deciduous forest which includes *Tectona grandis*, *Pterocarpus marsupium*, *Terminalia alata*, *Stephygyne parvifolia*, *Anogeissus latifolia*, *Chloroxylon swietenia*, *Dalbergia latifolia*, *Adina cordifolia*, *Lagerstroemia parviflora*, *Sterculia urens*, *Bombax ceiba*, *Albizia, odoratissima*, *Terminalia bellerica*, *Bridelia retusa*, *Dalbergia paniculata*, *Diospyros melanoxylon*, *Emblica officinalis*, *Ficus infectoria*, *Madhuca latifolia*, *Lannea coromandelica*, *Terminalia arjuna*, *Terminalia chebula*, *Acacia sundra*, *Cleistanthus collinus*, *Acacia leucophloea*, *Aegle marmelos*, *Buchanania lanzan*, *Buchanania lanzan*, *Cassia fistula*, *Feronia elephantum*, *Acacia nilotica*, *Bauhinia racemosa*, *Dolichandrone falcata*, *Butea monosperma*, *Careya arborea*, *Cochlospermum religiosum*, *Morinda tinctoria*, *Holarrhena antidysenterica*, *Semecarpus anacardium*, *Soymida febrifuga*, *Wrightia tinctoria*, *Schleichera oleosa*, *Strychnos potatorum*, *Zizyphus mauriatiana*, *Zizyphus xylopyrus*, *Dendrocalamus strictus*. The principle shrub species are *Annona squamosa*, *Calotropis gigantea*, *Cassia auriculata*, *Dodonea viscosa*, *Gardenia gummifera*, *Gymnosporia montana*, *Helecteris isora*, *Ixora parviflora*, *Randia dumetorum*, *Nyctanthes arbortristis*, *Bridelia hamiltoniana*. The principle grass species are *Heteropogon contortus*, *Ischaemum pilosum*, *Aristida adscensionis*, *Cynodon dactylon*, *Eragrostis unioides*, *Chloris incompleta*, *Andropogon martini* and *Schima nervosum*.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area around the protected area of Kawal Wildlife Sanctuary as Eco Sensitive Zone from ecological and environmental point of view. It is necessary to conserve the natural habitat around the sanctuary to supplement the spillover population of tigers. Eco Sensitive Zone is necessary to provide site specific habitat supplement to the spillover population of the tiger and its prey from core area. The non forest lands at important locations are also included in the Eco Sensitive Zone as they provide good corridor for movement of Wildlife.

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent varying from 0.25 kilometre to 1 kilometre around the boundary of Kawal Tiger Reserve in the State of Telangana as the Kawal Tiger Reserve Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-(1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from 0.25 kilometre to 1 kilometre around the Kawal Tiger Reserve. The extent of Eco Sensitive Zone is the entire Buffer area surrounding the Core of Kawal Wildlife Sanctuary including some of the non forest lands (outside the Buffer area) which are important from wildlife and ecological point of view. In case of non forest lands adjoining the Core or Buffer areas it extends to a distance of 1 kilometre from the respective boundaries of the buffer. In case of areas adjoining the Kaddam reservoir, the Eco Sensitive Zone extends to 0.25 kilometre from the boundary of the sanctuary. The area of the Eco-Sensitive Zone is 730 square kilometers.

(2) The map of the Protected Area demarcating the Eco-sensitive Zone boundary is at **Annexure I** and map showing the list of villages is appended at **Annexure I (A)**. The list of geo co-ordinates of the boundary of the Protected Area and the Eco-Sensitive Zone is at **Annexure I (B) and (C)** respectively.

(3) The boundary description of the Eco Sensitive Zone is appended at **Annexure II**.

(4) The list of 77 villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure III**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

- i. Environment,
- ii. Forest and Wildlife,
- iii. Agriculture and Horticulture,
- iv. Revenue,
- v. Urban Development,
- vi. Tourism including eco-tourism,
- vii. Rural Development,
- viii. Irrigation and Flood Control,
- ix. Municipal and Urban Development,
- x. Panchayati Raj, and
- xi. Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.**-

- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.
- (b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:
- i. Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
 - ii. Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
 - iii. Small scale industries not causing pollution;
 - iv. Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
 - v. Promoted activities and given under para 4.
- (c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):
- (d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:
- (e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.
- (f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat and biodiversity restoration activities.
- (2) **Natural Springs.-** The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.
- (3) **Tourism/Eco-Tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
- (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
- (i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.
 - (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;
 - (iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.
- (4) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Telangana State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) **Discharge of effluents.**- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) **Solid wastes.** - Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.**- Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) **Plastic Waste Management.**- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and Demolition Waste Management.**- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **E-waste.**- The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) **Vehicular Pollution.**- Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) **Industrial Units.**- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of Hill Slopes:** The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated or promoted within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental

Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited activities		
1.	Commercial Mining	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries including new oil and gas exploration causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.)	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major thermal and major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
6.	Setting of new saw mills and wood based industries.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Use of plastic bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
10.	Fishing practices	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated activities		
11.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity

		with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
12.	Construction activities	<p>(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) Promoted activities listed in this Notification. <p>(b) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
13.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
14.	Establishment of large scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.
15.	Felling of Trees	<p>(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.</p> <p>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.</p>
16.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
17.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws. Underground cabling may be promoted.
18.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Widening and strengthening of existing roads and construction of	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available

	new roads.	guidelines.
20.	Under taking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable laws.
21.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws
22.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
23.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies and dairy farming.	Permitted under applicable laws for use of locals.
24.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
25.	Commercial use and extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
26.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
27.	Solid Waste Management /Bio-medical Waste Management	Regulated under applicable laws
28.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
29.	Use of Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
30.	Eco-tourism	Regulated under applicable laws
Promoted activities		
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted
36.	Agro Forestry.	Shall be actively promoted.
37.	Plantation of Horticulture and Herbs.	Shall be actively promoted
38.	Use of eco-friendly transport	Shall be actively promoted.
39.	Skill Development	Shall be actively promoted.
40.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental Awareness	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 (1) of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes the first Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco Sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

- i. Collector & District Magistrate, Adilabad - Chairperson;
- ii. One representative of non-Governmental Organisation (working in the field of environment including heritage conservation) to be nominated by the State Government- Member;
- iii. Regional Officer, State Pollution Control Board, Adilabad -Member;
- iv. Senior Town Planner of the area/District Panchayat Officer -Member;
- v. Divisional Forest Officers of Nirmal, Adilabad and Bellampally -Members;

- vi. An expert in Ecology and environment to be nominated by the State Government
–Member;
- vii. An expert in Biodiversity to be nominated by the State Government –Member;
- viii. Divisional Forest Officer, Wildlife Management Division, Jannaram- Member secretary.


6. Terms of Reference.-

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.
 - (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.
 - (3) The Monitoring Committee shall not allow the activities that are covered in the Schedule to the notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests namely Environmental Impact Assessment, 2006 vide S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and Coastal Regulation Zone, 2011 vide S.O. No. 19(E) dated 6th January, 2011 and subsequent amendments therein, and are falling in the Eco-sensitive Zone, including the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof. Only white categories of industries shall be considered as specified in the guidelines issued by the CPCB for “classification of Industries, 2016”.
 - (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and S.O. 19 (E) dated 6th January, 2011 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
 - (5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Commissioner shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.
 - (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
 - (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State under intimation to this Ministry as per proforma appended at **Annexure IV**.
 - (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F.No.25/35/2017-ESZ]
LALIT KAPUR, Scientist 'G'


Annexure-I

Map of Kawal Tiger Reserve, Telangana along with Eco-Sensitive Zone



Annexure-I (A)

Map of Kawal Tiger Reserve, Telangana showing the location of villages in the Eco-Sensitive Zone



Annexure-I (B)

Geo Co-ordinates of boundary of Kawal Tiger Reserve, Telangana

Point Code	Latitude	Longitude
A	19.33101138	78.51586940
B	19.38357325	78.66297161
C	19.32179972	78.87686267
D	19.23245651	78.97486321
E	19.40541193	78.99568856
F	19.29641862	79.12601658
G	19.08735821	79.07723085

H	19.12221668	78.85669217
I	19.16188381	78.60805698

Annexure I (C)**Geo-coordinates of Eco-sensitive Zone Boundary of Kawal Tiger Reserve, Telangana**

Point Code	Latitude	Longitude
i	78.55155663	19.43047978
ii	78.80941855	19.35615918
iii	78.96798880	19.32131829
iv	79.20482184	19.35794930
v	79.20755616	19.11237001
vi	78.96583388	19.17537924
vii	78.6773659	19.079153
vii	78.4694579	19.2655139

Annexure II**Boundary Description of Eco Sensitive Zone of Kawal Tiger Reserve, Telangana**

North (A to B): The boundary line of the Buffer zone adjoining Critical Tiger Habitat starts from point (A) denoted as Station - 1 on Map (19.418741 N – 78.553049 E) which is situated at North West corner of Compt. No. 211, runs along the Northern boundary of the compartment upto North-East corner of compartment No 210 and runs towards Southern direction along eastern boundary of compartment Nos. 210, 209, 207, 205 of Sirikonda beat and it goes upto South East corner of Compt. No. 205 of Sirikonda beat denoted as station No. 2 on the Map (19.363404 – 78.614896) and turns towards East direction and reaches South East corner of Compt. No. 418 of Pochampalli (South) beat. Then it runs along western boundary of the compartment upto North-West corner and runs along the northern boundaries of compartment Nos 418,419 of Pochampally beat of Adilabad Division upto North East corner of compartment No. 419 denoted as station No. 3 on the Map (19.380765 – 78.664807). Then it runs in zigzag manner in Northern direction along the Western boundaries of 400,389 and reaches North-West corner of compartment No 389 denoted as station No. 4 on the Map (19.417656 – 78.649617). Then runs along Northern boundaries of compartment Nos. 389, 390, 391, 392, 393, 394 and reaches South-East corner of compartment No 394. Then turns towards Southern direction along Eastern boundary of compartment No 395 and Northern boundary of compartment No.430 of Shampur beat in Compt. No. 434 and Western boundaries of compartment Nos. 445, 446 in a zig-zag manner of Utnoor beat. Then runs along Northern and Eastern boundary of Compt. No. 445 and reaches station No. 5 denoted on the Map (19.361234 – 78.778736) which is before Eastern corner of Compartment no. 445 of Utnoor beat. Then it runs in the Eastern direction including non forest lands (crossing the Utnoor – Beersaipet road 19.356894 – 78.789586) adjoining Core Area and reaches Western boundary of Compartment No. 450 which is denoted as station No. 6 on the Map (19.362319 – 78.816712). Then it runs North-West direction along Western boundaries of Compt. No. 450, 449, of Ganpur beat and reaches North-West corner of Compt. No. 449. Then it runs towards Eastern direction boundaries of Compt. No. 449, 451 and to Southern boundaries of Compt. No. 453, 454 in North-West direction. From there in a zig-zag manner it runs South-West direction, Northern and Eastern direction of Compt. No. 454 of Hasnapur beat.

Then runs towards surrounding the boundaries of Compt. No. 455 of Hasnapur beat denoted as station No. 7 on the Map (19.425251 – 78.822137). Further it runs in a zig-zag manner along the Northern, Eastern boundaries of Compt. Nos. 456, 457, 458, 463, 462, 461 of Ragapur beat and reaches Station No. 8 denoted on Map i.e. north east corner of compartment No. 461 (19.318918 – 78.918705) of Southern corner of Compartment No. 461. Then runs towards South Easterly direction covering the non forest lands adjoining the core area and reaches northern boundary of Compartment No. 467 – 19.291792, 78.933896. Then it runs along Southern direction including non forest lands and reaches south west corner of compartment No. 465 denoted as Station No. 9 on the Map (19.292877 – 78.933896) and thence runs in the north easterly direction and reaches the western boundary of Compartment No. 488 (19.335193 – 78.978382). Then the line runs along the South Western borders and Northern borders of Compartment Nos. 488, 487 and 486 and reaches the corner of Compartment No. 487 and 488 which is denoted as Station No. 10 on the Map (19.351469 – 78.992487). Thence the line runs in the north easterly direction covering the non forest lands adjoining the Buffer Zone and reaches the western corner of Compartment No. 494 denoted as Station No. 11 (19.364489 – 79.005508) of Netnur Beat. Thence the line runs along the western borders of the Compartment No. 495, 496, of Rasimetta beat of Adilabad division and then turns towards East surrounding Compt. No. 496, Western boundary of Compt. No. 498, Western boundary of Compt. No. 502 and reaches Northern point of Compt. No.502 denoted as Station No. 12 on the Map (19.445867 – 78.998998). Then it runs South-East direction along the boundaries of Compt. No. 502, 501, 500, 499 of Rasimetta beat, 46 of Chintaguda beat and touches North-East corner of Compt. No. 61 denoted as Station No. 13 on the Map (19.378595

– 79.079290).

Then it runs towards Northern direction along the Western boundary of Compt. No. 52 of Balanpur beat and turn towards along East and part of Western boundary in Compt. No. 53 of Danora beat of Bellampalli division. It Then runs towards North-West direction surrounding Compt. No. 50, 49, 48 of North-East corner of Compt. No. 48 denoted as Station No. 14 on the Map (19.448037 – 79.118351) and runs towards South-East direction surrounding the Compt. Nos. 48, 49, 50. Then turns towards North-East direction surrounding the part of Compt. No. 54 and North-East corner of Compt. No.55. Then turn towards Northern direction surrounding Compt. No. 56, 57 and at North-East corner of Compt. No. 57 the line turned towards Western direction surrounding the Compt. Nos. 57, 56, 55 then turned towards South direction covering Eastern boundary of Compt. No. 54, Northern boundary of Compt. No. 65 then turned towards South direction covering Northern boundary of Compt. No. 84 and North-West corner of Compt. No.75 of Waudham beat. Then turned towards Eastern direction covering the Northern boundaries of Compt. No. 75, 76 and North-East corner of Compt. No. 78 of Waudham village of Bellampalli division and reaches point “B” denoted as Station No. 15 on the Map (19.379680 – 79.230110).

East (B to C): The line starts from the point “B” North-East corner of Compt.No. 78 of Waudham beat of Bellampalli division runs towards South & then West direction by touching the Compartments 78, 76, 75, 84 of Waudham beat, Compartment No. 83 of Balanpur beat, Compartments No. 82, 81 of Chintaguda beat and North Compartment No. 85 of Chintaguda beat then turned towards Eastern direction touching the Compartment Nos. 86, 87, 88 of Kodanmovad (S) beat, Compartments 89, 90, 91 of Kodanmovad (N) beat and then turned towards Northern direction of Compartment No. 93 then touching North-West corner of Compartment No. 92 and turned towards Eastern direction and touching the North-Eastern boundary of Compt. No. 94 of Kodanmovad (N) beat of Bellampalli division and turned towards Southern direction in a zig-zag manner touching the Southern borders of Compartment Nos. 94, 92, 93, 99 and then turned towards North-West direction touching the North-East boundary of Compartment No. 89 of Kodanmovad (N) beat, then turned towards South-West direction touching the Southern boundaries of Compartment Nos. 88 and reaches 87 Southern boundary.

Then it runs in the South Easterly direction covering non forest lands and reaches northern border of Compartment No. 97 of Kodanmovad (S) beat. Then it runs in the Eastern and South Westerly direction along the borders of Compartment No. 97 of Kodanmovad (S) beat and Compartment No. 110 of Chintalamadira beat and reaches near the South Western border of Compartment No. 110 (19.272261 – 79.143307). Then the line runs in the South Westerly direction and reaches Eastern border of Compartment No. 116. Then the line runs along the Eastern border of Compartment No. 116 and Northern borders of Compartment Nos. 135 denoted as Station No. 16 on the Map (19.245135 – 79.132457) and along the Northern boundaries of Compartment Nos. 143, 144, 146, 147, 148, 150 and North-Eastern corner of Compartment No. 151 denoted as Station No. 17 on the Map (19.232115 – 79.260491). Then turned towards South & Western direction along the Southern boundaries of Compartment Nos. 150, 149 and runs along East & South corner of Compt. No. 153 & 164 corner of Compt. No. 152. Thence the line runs in the north westerly direction along south western border of Compartment No. 152 and reaches the southern border of Compartment No. 155 (19.184374 – 79.156328).

Then the line runs in the south easterly direction and reaches the northern boundary of Compartment No. 163 of Mangi Beat including the non forest lands. Thence the boundary line runs in the easterly direction along northern borders of Compartment Nos. 163, 166, 168, 175, 174 and reaches the south eastern corner of Compartment No. 174. Then the line turns towards South-West direction along the Eastern boundaries of Compt. No. 176, 181, 182 of Bhimrelly beat of Bellampalli division. Then turns towards South direction by touching the Eastern boundaries of Compt. No. 183 & 191 of Gundala (West) beat of Bellampalli division then turned towards South-East direction along the Eastern boundaries of Compt. Nos. 193 & North-East corner of Compt. No.205 of Gundala (W) beat of Bellampalli division. Then turned towards South-West direction along the Eastern borders of Compt. No. 201, 208 of Gundala (W) beat of Bellampalli division. Then turned towards Southern direction along the Eastern borders of Compt Nos. 385, 386 of Patha Mamidipalli beat of Jannaram division, Compartments 389, 391 of Dandepalli beat, Compartments 395, 397 of Chintapalli beat and turned towards Southern direction of Compt. No. 398 and reaches South-East corner of Compt. No. 399 of Chintapalli beat of Jannaram division and reaching Point-C denoted as Station No. 18 on the Map (18.992323 – 79.216004).

South (C to D): From the point “C” South Eastern corner boundary of Compt. No.399 of Chintapalli beat of Jannaram division runs towards North-West direction touching Compartment Nos. 394, 393, 390 of Thanimaduugu beat and Southern Corner of Compt. No. 388 of Dandepalli beat then turned towards Northern direction touching the South West corners of Compt. No. 387 of Patha Mamidipalli beat then turned towards Western direction touching the Southern borders of Compt. Nos. 385 of Patha Mamidipalli beat, Compartment 382 of Dammannapet beat, Compartments 381 & 380 of Lingapur beat then turns towards Northern direction touching the Western border of Compt. No. 379 denoted as Station No. 19 on the Map (19.057425 – 79.135712) & and 375 of Lingapur beat and reaches the southern corner of Compartment No. 374 of Makulpet beat. Thence the line runs covering the non forest lands along

a small portion adjoining the Buffer line of Compartment Nos. 374 of Makulpet beat and 371 of Tadlapet beat crossing the Kaddam Canal and continues to run in the westerly direction covering the non forest lands adjoining the Core boundary pertaining to Southern boundaries of Compartment Nos. 344, 343, 342 of Mohammadabad beat, 341 of Chintaguda beat, 315, 314, 313 and 312 of Paidipally beat (it also covers a portion of Godavari river adjoining the Core boundary of Compartment No. 315), Compartment Nos. 311, 310, 309, 306, 308 of Jannaram Beat (near Compartment No. 311 crosses Nirmal – Mancherial road), adjoining 306, 308, 307, 283, 281, 249 denoted as Station No. 20 on the Map (19.176778 – 78.967532) and then along south east borders of compartment Nos. 244, 243, 242, 241, 240, 239, 234, 233, 232, 230, 229, 228, 227 Compartments of Jannaram Division. Thence the line runs covering the non forest lands along the Core boundary adjoining to Compartment Nos. 718, 717, 724, 719 denoted as Station No. 21 on the Map (19.035724 – 78.892664) (it enters and exists the river Godavari along the boundary of Compartment Nos. 724 & 719 twice), 716, 715, 714, 713, 722, 720, 723, 721, 712, 711, 729, 727 and 725 denoted as Station No. 22 on the Map (19.106251 – 78.791756). Thence it continues further adjoining the Core boundary of Compartment Nos. 726, 734, 735, 742, 743, 750 and 748 denoted as Station No. 23 on the Map (19.155078 – 78.720144) with the Eco Sensitive Zone are covering the part of Kaddam Reservoir and reaches the Buffer boundary at North Eastern corner of Somwarpet village adjacent to Compartment No. 751 of Somwarpet beat. Thence the line runs in the southerly direction along the Buffer boundary Compartment No. 832. The line then turns north touching compt. Nos.832 and moves west along boundary of Compt.No.829,828, and then moves south along Compt.No.825,866 and then moves north east along Compt. No.862 to reach northern corner of Compt. No.863 of Sathanpalli beat. The line then moves south along Compartments 863, 859, 858, 857, 856 & 839 of Muthyampet beat denoted as Station No. 24 on the Map (19.113846 – 78.750525) and then turns towards South Western direction reaching the Southern boundaries of Compt. Nos. 855, 854, 858, 859 of Muthyampet beat and Compt. No. 860, 861, 875, 876, 874 of Sathanpalli beat and Compt. Nos. 873, 882, 883, 881 & 877 and South corner of Compt. No. 878 of Khanapur beat and reaching the Point “D” denoted as Station No. 25 on the Map (19.051999 – 78.647447).

West (D to A): From the point “D” Compt. No. 878 of Khanapur beat of Nirmal division the block boundary goes towards Western direction touching the Southern boundaries of Compartments Nos. 879, 880, 883, 872 of Khanapur beat of Nirmal division and Western boundaries of Compt. Nos. 871, 819, 820 of Nagapur beat then turned towards North-East direction in a zig-zag manner touching the Western boundaries of Compartments Nos. 821, 823 and then reaches near to north eastern corner of Compartment No. 826 denoted as Station No. 26 on the Map (19.168098 – 78.645277). Thence it runs in the north westerly direction covering the non forest lands and reaches the southern boundary of Compartment No. 757 denoted as Station No. 27 on the Map (19.175693 – 78.621406). Thence the line travels in the southern direction along Buffer boundary and along Compartment Nos. 758, 791 then turns towards westerly direction along Compartment Nos. 759, 793, 794, 800, 799, 801, 802, 804 and western boundary of Compartment No. 805 of Pochampally beat of Nirmal Division denoted as Station No. 28 on the Map (19.180033 – 78.487947).

Then turned towards North East direction touching Compartments 805, 804 and touching Western part of Compartment No. 803 of Pochampalli beat and reached South corner of Compartment 88 of Pisra beat of Adilabad division. Then turned towards North-West direction by touching the Western boundaries of Compartment Nos. 88, 38, 25, 17 of Pisra beat of Adilabad division and North-West Corner of Compt. No. 55 of Kuntala beat denoted as Station No. 29 on the Map (19.282027 – 78.461906) then turned towards North-East direction by touching the Northern boundary of 19 (19.280942 – 78.509647) of Pisra beat. Thence the line runs in the northern direction crossing the Kaddam river and reaches the Southern boundary of Compartment No. 170 along Kaddam river banks. The line then runs in the Westerly direction along the Southern and South Western boundaries of Compartment Nos. 171, 169, of Gairjam beat and turned towards touching Western boundary of Compartment 167 and turns towards North-East direction touching the North-West corner of Compt. No. 166 denoted as Station No. 30 on the Map (19.327598 – 78.467331) and turns towards Southern direction touching Northern boundary of Compt. No. 172 and then turned towards North-West direction touching the North-West corner of Compartment No.173. Then turned towards Eastern direction in a zig-zag manner touching the Southern boundaries of Compt. Nos. 174, 175 of Talamadri beat. Thence from northern portion of Compartment No. 175 (19.313493 – 78.533518) the line travels in north easterly direction covering the non forest lands and reaches the western boundary of Compartment No. 193 (19.325428 – 78.548708). Then the line travels in the north westerly direction along the Buffer boundary and boundary of Compartment No. 194 of Talamadri beat and northern boundaries of Compartment No. 192 and reaches eastern boundary of Compartment No. 190 of Waipet Beat (19.346044 – 78.581260). Thence the line runs in the North Easterly direction covering the non forest lands and reaches south western boundary of Compartment No. 203. Thence the line runs in the western direction along the boundaries of 202, 201, 195, 196, 199 of Madhapur beat denoted as Station No. 31 on the Map (19.397040 – 78.529178) then turned towards Eastern direction touching the Northern border of Compt. Nos. 199,196, 195, 201 & 202 of Madhapur beat and turned towards Western direction in a zig-zag manner touching the Western boundaries of Compt. No. 206 of Sirikonda beat denoted as Station No. 32 on the Map (19.370999 – 78.581260) and Southern border of Compartment 208 and Western border of Compartments 209, 210 and Southern border of Compartment 211 of Sirikonda beat of Adilabad Division and reaching the point “A” i.e., North-West corner of Compt. No. 211 of Sirikonda beat of Adilabad Division.

Annexure III**List of villages falling in Kawal Tiger Reserve Eco-sensitive Zone**

Sl. No.	Name of the Village	Mandal	Forest Division	Latitude	Longitude
V1	Peesra	Neradigonda	Adilabad	19.228920	78.505000
V2	Narayanpur	Echoda	Adilabad	19.314790	78.569920
V3	Waipet	Echoda	Adilabad	19.334950	78.625260
V4	Walgonda	Indervelly	Adilabad	19.402690	78.661010
V5	Chandori	Uttoor	Adilabad	19.379270	78.836020
V6	Babgipet	Sirpur(u)	Adilabad	19.394180	79.028700
V7	Pawargudem	Sirpur(u)	Adilabad	19.364110	79.038210
V8	Chorpally	Sirpur(u)	Adilabad	19.315570	79.055820
V9	Chinna netnur	Sirpur(u)	Adilabad	19.306326	79.019371
V10	Pedda netnur	Sirpur(u)	Adilabad	19.303789	78.996539
V11	Tumiriguda	Sirpur(u)	Adilabad	19.326622	78.977512
V12	Mahagaon	Sirpur(u)	Adilabad	19.305058	78.958485
V13	Peddagumnur	Sirpur(u)	Adilabad	19.284762	78.972438
V14	Chinnagumnur	Sirpur(u)	Adilabad	19.278420	78.953411
V15	Kanchanpally	Sirpur(u)	Adilabad	19.280957	78.929310
V16	Pangidi	Sirpur(u)	Adilabad	19.351992	79.007955
V17	Nagapur	Khanapur	Nirmal	19.122120	78.628710
V18	Somwarpet	Khanapur	Nirmal	19.148440	78.694700
V19	Pochampally	Khanapur	Nirmal	19.195960	78.492800
V20	Pembi	Khanapur	Nirmal	19.196820	78.640960
V21	Paspula	Khanapur	Nirmal	19.243900	78.584710
V22	Raidhari	Khanapur	Nirmal	19.207620	78.517340
V23	Shetpally	Khanapur	Nirmal	19.197420	78.667980
V24	Itikyall	Khanapur	Nirmal	19.232970	78.616290
V25	Advisarangapur	Khanapur	Nirmal	19.102610	78.658190
V26	Godumala	Khanapur	Nirmal	19.199000	78.565150
V27	Yapaguda	Khanapur	Nirmal	19.186120	78.693670
V28	Munial	Kaddam	Nirmal	19.065610	78.891220
V29	Godiserial	Kaddam	Nirmal	19.049500	78.908770
V30	Ambaripet	Kaddam	Nirmal	19.095410	78.826470
V31	Nawabpet	Kaddam	Nirmal	19.112950	78.826080
V32	Dasturabad	Kaddam	Nirmal	19.100460	78.828070
V33	Laxmipur	Kaddam	Nirmal	19.128810	78.835360
V34	Pandvapur	Kaddam	Nirmal	19.097580	78.813450
V35	Gangapur	Kaddam	Nirmal	19.179940	78.722380
V36	Singaraipet	Jannaram	Jannaram	19.076170	79.102590
V37	Tapalpur	Jannaram	Jannaram	19.056310	79.079320
V38	Mohammadabad	Jannaram	Jannaram	19.082750	79.076110
V39	Chintaguda	Jannaram	Jannaram	19.078001	79.056157
V40	Puttiguda	Jannaram	Jannaram	19.099920	79.020730
V41	Ponkal	Jannaram	Jannaram	19.100833	79.010492
V42	Jannaram	Jannaram	Jannaram	19.141424	78.996539
V43	Kothurpalli	Jannaram	Jannaram	19.160452	78.986391
V44	Devunigudam	Jannaram	Jannaram	19.163930	78.980200
V45	Kothapet	Jannaram	Jannaram	19.174270	78.952110
V46	Parangapalli	Jannaram	Jannaram	19.164257	78.955948
V47	Indanpalli	Jannaram	Jannaram	19.147440	78.939190
V48	Murrimadugu	Jannaram	Jannaram	19.121240	78.948310
V49	Venkatapuram	Jannaram	Jannaram	19.117940	78.927100
V50	Kalamadugu	Jannaram	Jannaram	19.086880	78.940726
V51	Kothapally	Jannaram	Jannaram	19.249245	78.969901
V52	Revojipet	Kaddam	Jannaram	19.078840	78.921810
V53	Chennur	Kaddam	Jannaram	19.076380	78.933000
V54	Loddiguda	Tiryani	Bellampally	19.252340	79.096600
V55	PoolSingh Tanda	Tiryani	Bellampally	19.214730	79.087500

V56	Chinna Dampur	Tiryani	Bellampally	19.223070	79.057690
V57	Dampur	Tiryani	Bellampally	19.221110	79.087350
V58	Goyena	Tiryani	Bellampally	19.288760	79.080710
V59	Kursiguda	Tiryani	Bellampally	19.290600	79.100500
V60	Mangi	Tiryani	Bellampally	19.139120	79.134300
V61	Tokkiguda	Tiryani	Bellampally	19.130670	79.154380
V62	Bheemrala	Tiryani	Bellampally	19.147300	79.187390
V63	Geesuguda	Tiryani	Bellampally	19.179120	79.146670
V64	Tatiguda	Tiryani	Bellampally	19.178900	79.128900
V65	Keraguda	Tiryani	Bellampally	19.188900	79.118900
V66	Gopera	Tiryani	Bellampally	19.218420	79.137670
V67	Savathulagundam	Asifabad	Bellampally	19.307920	79.092580
V68	Alliguda	Asifabad	Bellampally	19.347710	79.118770
V69	Gogan Moar	Asifabad	Bellampally	19.354080	79.114820
V70	Dabhagudem	Asifabad	Bellampally	19.303789	79.111970
V71	Chintaguda	Asifabad	Bellampally	19.333280	79.090400
V72	Gondugudem	Asifabad	Bellampally	19.379950	79.218510
V73	Babajari	Kerameri	Bellampally	19.372300	79.094750
V74	Patnapur	Kerameri	Bellampally	19.374660	79.130380
V75	Chalbadi	Kerameri	Bellampally	19.363570	79.080000
V76	Jodeghat	Kerameri	Bellampally	19.366620	79.160100
V77	Ankusapur	Kerameri	Bellampally	19.395610	79.120500

Annexure IV**Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. [Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986;
8. Any other matter of importance.